

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./01/146/2018/एफ.सी./1426

दिनांक 30/09/2020

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांकरी  
जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।  
(FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 926/FP/UK/  
HYD/22889/2016 दिनांक 25-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव को आर0 ई0 सी0  
दिनांक 26.08.2020 की बैठक में चर्चा हेतु रखा गया था तथा आर0 ई0 सी0 द्वारा प्रस्ताव पर दो शर्तों की  
पूर्ति के साथ संस्तुति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा  
प्रस्तुत की गई है जिसमें निम्नलिखित कमी पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित  
है:-

1. In reply to point No. 02, details of 5 patches comprising of 50 ha area mentioned in para-13  
in Part II. However, digital map and KML file uploaded for 7 sites comprising 80 ha area.  
Also, 17 ha found in VDF and 44 ha in MDF. Further, Patch-3 and patch-4 are overlapping  
each other. State Government is therefore requested to upload the correct KML file and  
digital map of 50 ha area only describing the location of CA area clearly. The selected area  
should be suitable for plantation, i.e. it should not have any VDF or MDF in it.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस  
कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के0)